न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 838-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-2003 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 6/2001-02 अपील

1- कैलाशी उर्फ कैलाश शर्मा
2- अशोककुमार पुत्रगण रामस्वरूप शर्मा
ग्राम कुटरावली परगना सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य पदेश। ---आवेदकगण

विरूद्ध

हेमन्त पुत्र मुन्नालाल ब्राहमण
ग्राम कुटरावली हाल निवासी
न्यू कॉच मिल ग्वालियर ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 19- 1-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 6/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.3.03 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक काशीबाई पत्नि हरिमोहन के नाम की भूमि सर्वे कमांक 49 रकबा 0.73 हैक्टर, 71 रबा 0.711 हैक्टर, 86 रकबा 0.637 हैक्टर कुल किता

तीन कुल रकबा 6 वीघा 16 विसवा के हिस्सा 1/2 की भूमिस्वामिनी थी, जिसकी मृत्यु उपरांत अनावेदक ने बसीयत के आधार पर नायव तहसीलदार कैलारस से नामान्तरण किये जाने की मांग की । नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-6/2000-01 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 26-3-2001 पारित किया तथा अनावेदक का बसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 62/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 24-9-2001 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने प्रकरण क्रमांक 6/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.3.03 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24.9.01 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार कैलारस के आदेश दिनांक 26-3-2001 को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि नायव तहसीलदार ने बसीयत की बैधता की जांच नहीं की तथा अनावेदक के पक्ष में साक्ष्य अंकित की है परन्तु आवेदकगण की न तो साक्ष्य ली गई और न ही बसीयत पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है । अन्य जांच का अहम् बिन्दु यह भी

निर्धारित किया गया कि जब काशीवाई की मृत्यु हुई थी उस समय राजस्व रिकार्ड में मृतक काशीवाई के नाम भूमि अंकित नहीं रही है तब मृतक का उत्तराधिकारी अनावेदक किस आधार पर बनाकर नामान्तरण किया गया। नायव तहसीलदार के प्रकरण में इन कमियों को पाकर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 24-9-01 से प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया था। इसके विपरीत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 31-3-03 में निष्कर्ष दिया है कि राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1086-चार/98 में पारित आदेश दिनांक 19.1.2000 से काशीवाई को भूमिस्वामी घोषित किया गया था, तब उसके व्दारा की गई वादोक्त भूमि की बसीयत सही है। नायव तहसीलदार ने आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु चार पेशियॉ दीं एंव साक्ष्य न कराये जाने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त बसीयत के साक्षीगण के कथनों पर आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रतिपरीक्षण भी किया है। इस प्रकार अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण कर आदेश दिनांक 31.3.03 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 6/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.3.03 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर